HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14181/2025

Harish Alias Hari S/o Deva, Aged About 32 Years, Fatehpura, Police Station Abu Road Sadar, District Sirohi Rajasthan (Lodged In Dist. Jail, Sirohi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhanwar Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

23/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना आबू रोड सदर, जिला सिरोही** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 103(1), 324(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 50–60 लोगों द्वारा मृतक रौनक के साथ मारपीट किया जाना बताया गया है, जिनमें अनुसंधान के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त हरिश उर्फ हरी, एवं सहअभियुक्त वाला पुत्र सामीरा, सोमा पुत्र भारता, सुखाराम पुत्र केसरा, सरदाराम उर्फ भैराराम पुत्र अणदाराम, जीवा पुत्र भैरा, काला पुत्र हीदा, शंभु पुत्र पोमाराम, कालाराम पुत्र शांताराम, कालाराम पुत्र साजाराम, भावाराम पुत्र अणदाराम, शांताराम पुत्र सांकला जी तथा साजा पुत्र दौला के विरुद्ध धारा 189(2), 115(2), 126(2), 103(1), 324(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता के

दंडनीय आरोप का आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले के चश्मदीद गवाह पिण्टा पुत्र श्री अणदाराम, शंकर लाल पुत्र लल्लुराम ने बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस दिए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पर कोई विशिष्ट कृत्य कारित करना वर्णित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से एक लाठी झाड़ियों से बरामद की गई है। उनका यह भी तर्क है कि मामले के अन्य समस्त मुलजिमान की जमानत याचिकाएं स्वीकार की जा चुकी हैं। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा यह व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से लाठी बरामद की गई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व चश्मदीद गवाहान के अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त का कोई विशिष्ट कृत्य इंगित नहीं किया गया है एवं अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत याचिकाएं स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला अन्य सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हरीश उर्फ हरी पुत्र देवा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/2025, पुलिस थाना आबू रोड सदर, जिला**

सिरोही में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

26-Nitin Jagtiani/-